कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई (छ.ग.)

निविदा संशोधन सूचना

क्र./ परि0शा0./न.नि./2024/ 1351 भिलाई दिनांक 03/07/2024

नगर पालिक निगम, भिलाई के परियोजना शाखा अंतर्गत निविदा कमांक 1308 दिनांक 19.06.2024 को सरल क. 03, निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित उद्यान, स्कूल एवं सामुदायिक जगहों में वृक्षारोपण कार्य की निविदा में नियम शर्तो में संशोधन किया गया है, संशोधित नियम शर्तो को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

कार्यपालन अभियंता
परियोजना
नगर पालिक निगम
भिलाई

//संशोधित नियम एवं शर्ते//

1. पेड़ लगाने के पूर्व इंजीनियर इंचार्ज/उद्यान अधिकारी द्वारा पेड़ की क्वालिटी एवं प्रजाति का अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में पेड़ की गणना एवं भुगतान नहीं की जावेगी।
2. सभी वृक्षो का प्रकार, स्थल एवं संख्या का चयन इंजीनियर इंचार्ज/उद्यान अधिकारी के द्वारा ही किया जायेगा।
3. भिलाई निगम सीमान्तर्गत किसी भी स्थान पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु एजेंसी बाध्य रहेगा।
4. सिंचाई, खाद, दवाई एवं अन्य सभी आवश्यक रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
5. प्रदाय किये जाने वाले पौधो की मोटाई, ऊँचाई और गुणवत्ता प्राक्कलन अनुसार होगी।
6. एस.ओ.आर. आयटम अंतर्गत आयटम में उल्लेखित Maintenace किए जाने के उपरांत भुगतान देय होगा।
7. श्रम कानूनो का पूर्णतः पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा तथा उनके श्रमिको, कर्मियो व कर्मचारियो के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून अनुसार श्रमिकों के EPF एवं ESIC की कटौती इत्यादि का पालन व जवाबदारी अनुबंधकर्ता एजेंसी की होगी। लगाये गये श्रमिको का भुगतान शासन के नियमो के अंतर्गत न्युनतम श्रमिक दर अनुसार करना होगा।
8. अनुबंधकर्ता एजेंसी द्वारा रखे गये कर्मचारियो के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिये अनुबंधकर्ता एजेंसी जवाबदार होगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा समय समय पर निरीक्षण उपरांत दिये गये सभी निर्देशो का पालन अनुबंधकर्ता एजेंसी को करना होगा।
10. एजेंसी/फर्म द्वारा दिया गया दर समस्त टेक्स एवं जीएसटी इत्यादि सहित होगा।
11. किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(हस्ताक्षर) R.O. (हस्ताक्षर) EE (हस्ताक्षर) SE